

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय जयपुर - 302001

क्रमांक:- एफ-4 / मुख्या / वित्त / RGHS / 2023 / 573

दिनांक- 7/02/23

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार द्वारा लागू राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना(RGHS) निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 66/2022 के अनुसरण में निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के लिये लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 298 दि० 19.01.2023 के क्रम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. बिन्दु संख्या 1 के क्रम में सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारीयों को स्वयं की निगम में date of joining भी देनी होगी।
2. बिन्दु संख्या 5 में वर्णित प्रीमियम राशि हेतु cheque "Rajasthan State Road Transport Corporation Jaipur" के नाम से जारी किया जावें।
3. परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना(RGHS) के आदेश संख्या 3492 दि० 23.11.2022 के अनुसरण में बिन्दु संख्या 8 जोड़ते हुए लेख है कि उक्त प्रीमियम एकमुश्त है यह योजना जीवन पर्यन्त लागू रहेगी।

Email ID - rghsx. & sttc@gmail.com


स
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:- एफ-4 / मुख्या / वित्त / RGHS / 2023 / 573

दिनांक- 7/02/23

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
2. निजी सचिव, कार्यकारी निदेशक(प्रशा/याता/विधि/यांत्रिक), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
3. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, रापनि, मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक(.....IT.....), रापनि, मुख्यालय जयपुर।
5. समस्त जोनल मैनेजर, रापनि,..... मुख्यालय जयपुर।
6. समस्त मुख्य प्रबन्धक/मुख्य उत्पादन प्रबन्धक,.....।
7. आदेश/निजी पत्रावली।


महा प्रबन्धक(वित्त)